संख्या-270/2016/1564/22-2-2016-17(315)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री मंशाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34859/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री मंशाराम, निवासी ग्राम-मोहम्मदगंज रमपुरा, थाना-बरखेडा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। प्रधानी का चुनाव हार जाने से नाराज होकर बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को सायं लगभग 05:00 बजे क्रेशर पर बैठे लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी बचने के लिए कुछ कोठरी में घुस गये, कुछ खेत में भाग गये। तभी कोठरी पर तेल डालकर आग लगा दी आग से बचने के लिये भागने पर लोगों पर फायरिंग कर 04 व्यक्तियों की हत्या की एवं 07 को गम्भीर रूप से घायल किया जिनमें महिलायें भी शामिल थीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212,235/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 302/149, 7 क्रिमिनल लां एक्ट एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत द्वारा दिनांक 23-01-2004 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2016 तक 15 वर्ष 02 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 28 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 08 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होता है, बन्दी के जेल से रिहा होने पर कोई भी संगीन घटना घटित हो सकती है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री मंशाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- इसी प्रकरण मे मा0 उच्च न्यायालय में योजित मिस बेंच सं0- 19642/2016 ओम प्रकाश बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 के अनुपालन तथा उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओम प्रकाश(बन्दी संख्या-39011) पुत्र श्री मंशाराम निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-270/2016/1564(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-270/2016/1564/22-2-2016-17(315)/2016

दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री मंशाराम, निवासी ग्राम-मोहम्मदगंज रमपुरा, थाना-बरखेडा, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। प्रधानी का चुनाव हार जाने से नाराज होकर बन्दी ने 36 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 10.03.2001 को सायं लगभग 05:00 बजे क्रेशर पर बैठे लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी बचने के लिए कुछ कोठरी में घुस गये, कुछ खेत में भाग गये। तभी कोठरी पर तेल डालकर आग लगा दी आग से बचने के लिये भागने पर लोगों पर फायरिंग कर 04 व्यक्तियों की हत्या की एवं 07 को गम्भीर रूप से घायल किया जिनमें महिलायें भी शामिल थीं। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-212,235/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-148, 436/149, 302/149, 7 क्रिमिनल लां एक्ट एवं 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0 एक्ट, पीलीभीत द्वारा दिनांक 23-01-2004 को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त मृत्युदण्ड को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.06.2016 तक 15 वर्ष 02 माह 13 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 03 माह 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 28 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है तथा 08 सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत ने बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, बन्दी पुनः अपराध करने में अशक्त प्रतीत नहीं होता है, बन्दी के जेल से रिहा होने पर कोई भी संगीन घटना घटित हो सकती है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओम प्रकाश पुत्र श्री मंशाराम, निवासी जनपद-पीलीभीत को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in